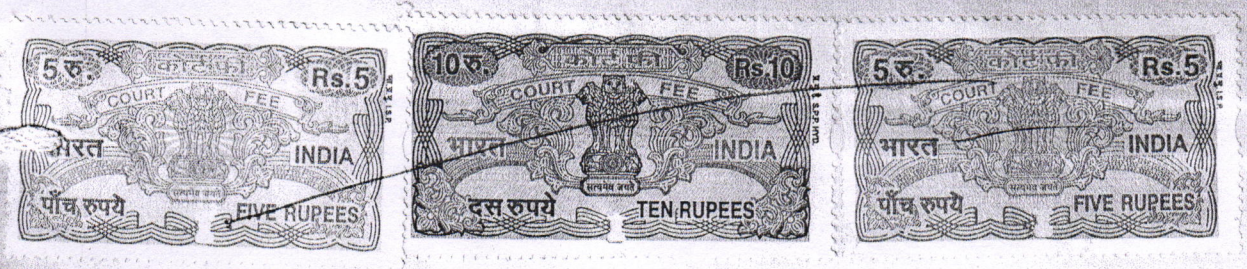

अपील/271-PBR-15

न्यायालय श्रीमान् म.प्र.राजस्व मण्डल भोपाल

प्रकरण क्रमांकः ....

1. सवाईराम पुत्र श्री गोविन्दराम कुन्बी,
2. ज्ञानराव पुत्र श्री गोविन्दराम कुन्बी

   दोनों निवासी–साकीनखेड़ी, सबलीगढ़,

   जिला व तह0– बैतूल म.प्र. .... अपीलार्थी

विरूद्ध

श्रीमती ऊर्मिला जौजे श्री रमेश तेली

निवासी–साकीनखेड़ी, सबलीगढ़,

जिला व तह0– बैतूल म.प्र. .... प्रतिअपीलार्थी

~~अपील~~ निगरानी अंतर्गत धारा ~~44(2)(3)~~ 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदानुरम संभाग होशंगाबाद (पीठासीन– श्री एन.पी. डेहरिया) द्वारा प्रकरण कं. 06/अपील/2013–14 पक्षकार श्रीमती उर्मिल विरूद्ध सवाईराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.01.2015

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 271–पीबीआर/15 **जिला** बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
13–2–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 8–1–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदकगण को सीमांकन की जानकारी हो गई थी, और यदि वे सीमांकन से असंतुष्ट थे, तब उन्हैं उसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करना थी अथवा पुनः सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल दिशा के आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, जबकि मौके पर आवेदकगण का कब्जा होना पाया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत नहीं है कि आवेदकगण का यदि किसी भूमि पर कब्जा है तो वह मीराबाई की भूमि पर है, जबकि प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि सीमांकन के पूर्व मीराबाई ने अनावेदिका को भूमि विक्रय कर दी थी, और वर्तमान सीमांकन के समय अनावेदिका ही प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी है । स्वयं इस तथ्य को आवेदकगकण द्वारा स्वीकार किया गया है कि जिस स्थान पर आवेदकगण का अतिक्रमण चिन्हित किया गया, वह भूमि अनावेदिका की नहीं है, और अनावेदिका को भूमि बेचने के बाद शेष बची भूमि आज भी मूल भूमिस्वामी मालिक के पास है, इससे आवेदकगण ने स्वयं अतिक्रमण होने की पुष्टि की है । अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय	

भवानीराम/उमेश

R 271 PBR/15

अधिकारी का आदेश निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि उनके द्वारा सीमांकन के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, क्योंकि इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष